तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 139/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/267) बअनवान साजनराम बनाम भैराराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

साजनराम

बनाम

भैराराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री सिद्धार्थ, अधिवक्ता अपीलांट
   रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.02.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 730/2021 अनवान साजनराम बनाम भैराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 अगस्त 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 10 एवं 47/1 ग्राम माण्डियाई खुर्द अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका आज दिनां तक विधिवत्त विभाजन नहीं हुआ है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 139/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/267) बअनवान साजनराम बनाम भैराराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

माननीय मण्डल द्वारा अपने निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 में लिखा है कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि पर समस्त खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। अभी यह सिद्ध नहीं है कि मनबंट के आधार पर उभय पक्ष काबिज काश्त है, इसलिए यह माना जायेगा कि विवादित भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का कब्जा है। ऐसी स्थिति में किसी खास खसरा नंबर में ट्यूबवेल की खुदाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी बढने की संभावना है। उभय पक्ष के लिए मौके पर अलग-अलग ट्यूबवेल पहले से ही खुदी हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर स्थाई प्रकृति का निर्माण करने तथा मौके की स्थिति को परिवर्तन करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अगस्त 2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 10 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 47/1 रकबा 1.3112 हैक्टेयर अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी पर कोई स्थाई प्रकृति का निर्माण न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 139/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/267) बअनवान साजनराम बनाम भैराराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हो तथा वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है। माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा भी निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 के जरिये वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी कर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अगस्त 2021 को निरस्त किया जाकर उभय पक्ष ताफैसला दावा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 10 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नं. 47/1 रकबा 1.3112 हैक्टेयर ग्राम माण्डियाई खुर्द तहसील तिंवरी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर